

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत
श्री नरेन्द्र कुमार गीणा
निवासी जैतपुरा
तहसील शिवगंज
जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 07-वर्ष 2025

दिनांक हुवम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
29.01.2025	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 25.12.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम जैतपुरा के आवासीय नक्शे की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम जैतपुरा में हर घर नल योजना के तहत जल वितरण हेतु बनाया गया नक्शे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 25.12.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम जैतपुरा के आवासीय नक्शे की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम जैतपुरा में हर घर नल योजना के तहत जल वितरण हेतु बनाया गया नक्शे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जैतपुरा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/ लो.सू.अ./रेकॉर्ड/2025/6 दिनांक 07.01.2025 के द्वारा अपीलांत का मूल आवेदन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जैतपुरा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जैतपुरा के प्रथम अपील अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही

